

राजस्थान सरकार

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग

क्रमांक : प.10(49)आयु./2022/01020

रजिस्ट्रार,

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय,
जोधपुर, राजस्थान,

जयपुर, दिनांक:-

20 APR 2023

विषय:- आयुर्वेद विभागान्तर्गत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती
करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के रिक्त 639 पदों पर भर्ती करने
के संबंध में विज्ञाप्ति प्रकाशन के लिए अर्थना प्रपत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी में), विज्ञापन का
प्रारूप, प्रेस-विज्ञाप्ति, बैंठक दिनांक 20.04.2023 का कार्यवाही विवरण, अनुभव प्रमाण पत्र
का प्रारूप, चैकलिस्ट का प्रारूप संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि उक्त पदों पर भर्ती
का विज्ञापन 03 दिवस में प्रकाशित कर, अवगत कराने का श्रम करावें। साथ ही उक्त भर्ती
प्रक्रिया की साप्ताहिक प्रगति से भी अवगत कराने का श्रम करावें।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार।

भवदीय

(भगवत् सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय आयुष मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुष विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर निर्देशित किया जाता है कि उक्त भर्ती के संबंध
में कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर से समन्वय स्थापित कर,
भर्ती प्रक्रिया की साप्ताहिक रिपोर्ट भिजवाने का श्रम करावें।
4. प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

५
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग

क्रमांक प 10(49)आयु/2022/01020

दिनांक 20.04.2023

विज्ञापन संख्या 1/2023

राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 639 पदों पर भर्ती हेतु ऑन लाईन आवेदन पत्र डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाईट <http://dsrrau.info> पर दिनांक 01.05.2023 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 31.05.2023 को मध्य रात्रि 12.00 बजे तक ऑन लाईन आमन्त्रित किये जाते हैं। इसके उपरान्त ऑन लाईन लिंक स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा हाथ से भरे गये फार्म किसी रूप में स्वीकार नहीं किए जायेंगे। भर्ती से सम्बन्धित पदों के वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन शुल्क, आयु, शैक्षणिक योग्यता, चयन का आधार एवं विस्तृत दिशा-निर्देश डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाईट <http://dsrrau.info> पर उपलब्ध होंगे।

(भगवत् सिंह)

शासन उप सचिव

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग राजस्थान, जयपुर

विज्ञापन क्रमांक:

दिनांक

आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या: 01 / 2023

राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम-1973 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के 639 पदों को सीधी भर्ती से भरने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पद स्थायी हैं तथा पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। आवेदन पत्र डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद प्रशिक्षणालय, जोधपुर की वेबसाइट <http://dstrau.info> पर दिनांक 01 मई 2023 प्रातः 10 बजे से ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

Name of Posts	No. of Post (s)	Gen. (UR)					S.C.					S.T.					B.C.					M.B.C.					E.W.S.					Horizontal Reservation	
		भूतपूर्व संतुलित	भूतपूर्व संतुलित	विशेष	प्राकृतिक	होम्योपैथी	उच्चात्	विशेष	योग्यजन																								
आयुर्वेद चिकित्सा धिकारी	639	153	47	18	4	11	67	20	8	2	5	51	15	6	1	3	88	27	11	2	8	21	7	2	0	1	42	12	5	1	3	13	13

Abbreviations Used : Gen.- General, UR- Unreserved, S.C.- Scheduled Castes, S.T.- Scheduled Tribes, B.C.- Backward Classes, M.B.C.- More Backward Classes, E.W.S.- Economically Weaker Sections, OA-Ong Att, OL-One Leg, BL-Both Legs, LC-Leprosy Cured, Dw-Dwarfism, AAV-Acid Attack Victims, SLD-Specific Learning Disability, MD-Multiple Disabilities.

नोट :-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार फिसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथारिति, अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्यार्थी तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीति किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीति की भर्ती रिक्तियाँ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपलेखम के प्रयोगजन के लिए संगतित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आवारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रमाणित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथारिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्यार्थी वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग एवं अधिक रूप से कमज़ोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- फिसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विवाह महिलाओं भूतपूर्व संतुलित विधवाओं से लिए आरक्षित रिक्तियों को विवाह महिलाओं से या विवर्यान, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विविधन विवाह अभ्यर्थीयों के उपलब्ध न होने के दशा में, न भरी गई रिक्तियाँ उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थीयों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थीयों द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियाँ आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थीयों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ संवित पश्चात्यार्थी वर्ष के लिए अग्रनीति नहीं की जायेगी। विधवा और विविधन विवाह महिलाओं सहित ही आरक्षित रिक्तियाँ आरक्षण को प्रवर्ग के अन्य वर्षों में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विवर्यान समायोजित किया जायेगा।
- विशेष योग्यजन/ निःशक्तजन के लिए वर्षाएं गए पदों का आरक्षण क्षेत्रिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व संनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार फिसी वर्ष विशेष में जहां भूतपूर्व संनिकों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त मूलपूर्व संनिकों की अनुपलब्धता के कारण याली रुक्त जाती है तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीति की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियाँ व्यपगत हो जायेगी।
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां फिसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त वैद्यमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अप्रेक्षित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त वैद्यमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निवारिति रिक्तियों में अन्तररिक्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकता।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अधिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं भूतपूर्व संनिकों के लिए विशेष योग्यजन के लिए राजस्थान राज्य के मूल नियासियों को छोड़ देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाग देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वान्वय न्यायालय द्वारा CA No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा DBSAW No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल नियासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी/एसटी/बीसी/एम्बारीसी/इंडियूएस/मूलपूर्व संनिक/ वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
- विज्ञप्ति उक्त पदों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान के नोटिफिकेशन दिनांक 23.01.2019 राजस्थान विशेष योग्यजन का (समान अवसर, अधिकारीयों को संरक्षण और पूर्ण गारीबीय) नियम 2018 के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजन अभ्यर्थीयों (Persons With Disabilities) को 4 प्रतिशत आरक्षण क्षेत्रिज रूप से देय होगा।

पात्र विशेष योग्यजन क्षेत्री

(a) OA, OL, BL, LC, Dw, AAV (b) SLD (c) MD involving (a) to (b) above

(a) OA, OL, BL, LC, Dw, AAV	(b) SLD	(c) MD involving (a) to (b) above
-----------------------------	---------	-----------------------------------

शैक्षणिक योग्यताएं :-		
1. A bachelor's degree in Ayurved from a University established by law in India or equivalent and recognized under Indian Medicine Central Council Act, 1970		
नोट:- आवेदक का राजस्थान इमिडियन मेडिसिन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है तथा विस्तृत आवेदन पत्र/दस्तावेज सत्यापन के समय पंजीयन प्रगति पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।		
शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उनके पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता आवेदन करने की अन्तिम दिनांक तक अर्जित योग्यताधारी अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। उम्हीने 30 सर्वपल्ली राजकूमार राजस्थान आयुर्वेद विषयविद्यालय, जोधपुर में दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदन करने की अन्तिम दिनांक 31 मई 2023 तक शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सहूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। अभ्यर्थी को आवेदन करने की अंतिम दिनांक तक इन्टर्नशिप ट्रेनिंग भी पूर्ण कर लेनी आवश्यक है।	
पे मैट्रिक्स	ऐ मैट्रिक्स लेवल L - 14 नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवेशकाल में नियत मसिक येतन (Fix Pay) देय होगा।	
आयु सीमा	दिनांक 01.01.2024 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष से कम।	
विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्रावधान		
क्र.सं.	अन्यथियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियां	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुलाय अभ्यर्थी Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Most Backward Classes of Rajasthan State and EWS	5 वर्ष Five Years
2.	सामान्य पर्यावरण की महिला Women Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
3.	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Most Backward Classes of Rajasthan State and EWS	10 वर्ष Ten Years
4.	विधवा एवं विडिन विवाह (परित्यक्ता) महिला Widow and divorcee Women Explanation :- In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish the proof of divorce.	अधिकतम आयु सीमा नहीं No Upper age limit
5.	रिजिस्टर्ड अर्थात् प्राविक्षा सेवा के कर्मचारी जिनका रिजर्व में रथनान्तरण कर दिया गया हो, के मामले में उपरियोगित ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी। The upper age limit shall be 50 years in the case of reservists, namely the Defence Service personnel who were transferred to the Reserve.	
6.	उपरियोगित ऊपरी आयु सीमा ऐसे मूलपूर्व के दोनों दोषसिद्धि के पूर्ण सरकार के अधीन किसी पद पर substantiv तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for an appointment under these Rules.	
7.	अन्य गूतपूर्व के दोनों जो दण्डित होने से पूर्ण अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारबास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर उपरियोगित ऊपरी आयु सीमा छूट में होगी। In the case of other ex-prisoners, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served by him provided he was not over age before his conviction and was eligible for appointment under these Rules.	
8.	कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरियोगित ऊपरी आयु सीमा में उनके द्वारा राज्यीय कैडेट कार में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि को शिखिल किया जायेगा यदि परिणामिक आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा। That the upper age limit mentioned above, shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the National Cadet Corps in the case of Cadet Instructors and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, such candidates shall be deemed to be within the prescribed age limit.	
9.	निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे राजस्थान आयुर्वेद विषयविद्यालय, जोधपुर के समक्ष उपरियोगित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली भी यदि वे रोना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की छूट से पात्र थे। That the Released Emergency Commissioned Officers & Short Service Commissioned Officers after release from Army shall be deemed to be within the age-limit even though they have crossed the age-limit when they appear before University had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.	
10.	राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार नियमकान्तरण व्यक्तियों के लिये ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmarks disabilities.	
11.	जो व्यक्ति राज्य सरकार, एन.आर.एव.एम. गुरुगंग्रामी बी.पी.एल. जीप्पन रक्षा कोष के तहत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पद पर लगातार काम कर रहा है, को की गई सेवा के बराबर अवधि में उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी जोकि अधिकतम पांच वर्ष की होगी। The upper age limit mentioned above, for the person who is continuously working as Ayurved Chikitsadhikari in Government, Chief Minister BPL Jeevan Raksha Kosh, National Rural Health Mission shall be relaxed by the period equal to the service rendered by him subject to maximum of five years.	
12.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि एवं वास्ते उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जायेगी। The upper age limit shall be relaxed by three years in the case of candidates holding post graduate Degree in Ayurved.	
13.	कार्यक्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार गत वर्षों में इन पदों पर भर्ती नहीं किये जाने के कारण अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष शिखिलता दिये जाने का प्रावधान है। As per DOP Notification No. F.7(6) DOP/A-II/2008 Dated. 23-09-08 "If a candidate would have been entitled in respect of his/her age for direct recruitment in any year in which no such recruitment was held, he/she shall be deemed to be eligible in the next following recruitment, if he/she is not overage by more than 3 years."	
	उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत चूंकि विभाग द्वारा वर्ष 2021 में भर्ती की गई है, जिसमें आयु गणना दिनांक 01.01.2022 के आधार पर गणना की गई है। अतः अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के केंद्र में नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में 01 वर्ष की शिखिलता देय होगी।	
14.	राजस्थान शिखिल सेवा (भूतपूर्व सेनिकों का अमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सेनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु यह कि शिखिलकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञा आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी।	

2

According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules, 1988, relaxation in upper age limit shall be five years to Ex-servicemen. Provided that if permissible age after relaxation works out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years will be applicable.

रप्तार्थीकरण ।— कार्मिक (क-२) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.८.२०१९ के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सेनिकों का आमेलन) नियम, १९९३ यथारंसंबंधित के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अर्थार्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सेनिक को भी देय छोड़ी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी इत्तेकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सेनिकों को मिलेगा।

१

- (1) उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंबंधी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अन्यर्थियों को उपर्युक्त वर्गित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा, एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर आयुरीमा में छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
 - (2) विशेष योग्यतान को उपर्युक्त आयु सीमा में नियमानुसार देय छूट के प्रशंसात् अतिरिक्त छूट देय होगी।
 - (3) कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/BC/MBC/EWS) के अन्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुरीमा आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रियतियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।
 - (4) राजस्थान संघ नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनाक तक अन्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 - (5) आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक याद की रिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मात्र होंगे।
 - (6) आयु सीमा में छूट राज्य सरकार को द्वारा नवीनीतम आदेशों से अनुसार देय होगी।

अन्य विवरण

- प्रदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रूपये 300/- का डी.डी. कुलसंचय, डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के नाम से बनवा कर विश्वविद्यालय में रखने उपरिक्षेत्र होकर आफलाईन संशोधन करा सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी ट्रूटि का सम्पूर्ण स्थिति अभ्यर्थी का ही होगा। परन्तु विधाया/परिषद्धता/विधालांग वर्ग के वे अभ्यर्थी जो उक्त केंद्रग्राम जोड़ना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थीयों का दस्तावेज सत्यापन के समय तक यह परिवर्तन स्वीकार्य होगा।
 - डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अंतिक्षेत्र अन्य किसी भी संसद से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त आफलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने देंते अभ्यर्थी को कोई फानी अधिकार नहीं होगा।

आवेदन साल्फः—

- (क) सामाजिक वर्ग एवं साराजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आधेदक हैंतु :-
 (ख) साराजस्थान के नौन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आधेदक हैंतु :-
 (ग) समस्त निःशक्तजन, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं साराजस्थान की अनुसृचित जाति, अनुसृचित जनजाति तथा जिनकी पारियारिक

आर

- नोट :-**

 - राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अधिकारियों को सामान्य वर्ग का अधिकारी माना जाएगा। अतः ऐसे अद्वेदकों को सामान्य वर्ग के अधिकारियों के लिए नियमित आवेदन शुल्क देना होगा।

21 - 84 - 10

3



1

ऐसे अवधीं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, के लिए किसी भी मर्ता/परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए अनुमति दिया जाना चाहिए क्योंकि इन्हें उत्तर परियोग के लिए अनुमति दिया जाता है। उक्त परियोग के अनुसार राजस्थान राज्य के जिन अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय परियोग की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने का विकल्प दिया गया है, उन अधिकारियों को दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्राप्ति पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त लाभ राजस्थान राज्य के अधिकारियों को ही दिया दिया जाएगा। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के आवेदकों को समानता दी जाएगी।

अति अहन्तपर्ण खिल्द / चोह =

- (1) अमर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाइल नम्बर व ई-मेल आईडी. अकित करें जिस पर वह दस्तावेज सत्यापन इत्यादि संबंधी भावी सूचनाएं SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अकित मोबाइल नम्बर व ई-मेल आईडी, बदलने/बद्ध होने/नेटवर्क समरण होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अमर्थी की रवयं की जिम्मेदारी होगी।

(2) आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र इत्यानपूर्क नहीं। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि उसी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर डाउन सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।

(3) अमर्थी डाउन सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा किरी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए डाउन सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर होनी होकर अमर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

(4) आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मित्र/अन्य किसी स्त्रीत से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते रामय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/मूलयश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), योग्यता इत्यादि संबंधी त्रुटियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के प्रश्नात ही उड़े सूचारे हुए ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से उड़े त्रुटि कर लें। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो प्रश्नायादात्र द्वारा आवेदन-पत्र में सारोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर कर लें। इसके प्रश्नात किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन वार्ष औफलाईन संशोधन/परिवर्तन रखीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण विशेष स्वयं अमर्थी की ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रीत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रीत पर जाकर आवेदन करवायें। ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रीत के भरोसे न छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाईन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा।

(5) यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से निन्म श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारी का परिस्थाग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अद्यति के प्रश्नात उसकी श्रेणी में सूचिया नहीं दी जाएगी। अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/अंतिम वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परिवर्तनी/विकलांगता/अन्य वर्ग के अमर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्टेट रूप से उल्लेख परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अमर्थीयों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/गरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी। अमर्थी आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा है उस संविधित वर्ग/श्रेणी से संविधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज यथा संग्रह प्रस्तुत नहीं करते वर आवेदक/अमर्थी को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित वर्ग के विज्ञापित पदों का लाभ देय नहीं होगा तथा उसे अनारक्षित श्रेणी में नानाते हुए कार्यवाही की जायेगी और अमर्थी को अनारक्षित श्रेणी का निर्धारित सुलक का भुगतान करना होगा।

(6) डाउन सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अमर्थीयों की प्राप्तता (आयु, योग्यता इत्यादि) की जाँच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

(7) आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक डाउन सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर कार्यालय को धूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों की विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्तता की जाँच दस्तावेज सत्यापन के समय की जायेगी। सत्यापन के समय आवेदक को विस्तृत आवेदन-पत्र द्वारा प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा। डाउन सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा उम्मीदवार की प्राप्तता की जाँच करते समय तथा मूल प्रत्येकों से प्राप्तता की जाँच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता थ अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अमर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो प्राप्तता रद्द की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अमर्थी की होगी।

(8) गान्धीजी उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधान/परिवर्तक वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के प्रश्नात/पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधान/परिवर्तक वर्ग का लाभ दिया जायेगा। इसी प्रकार ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के प्रश्नात/दस्तावेज सत्यापन के प्रश्नात जीवन्यार्थी अनिवार्य रूप से परिवर्तन करवाना होगा अन्यथा उसे विकलांग/विधवा/परिवर्तकता श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा। यदि प्रत्येकता/तात्त्वकशुद्धा आवेदक का तात्त्वक सम्बन्धी प्रकरण/वाद दामनीय न्यायालय में विचारालय/लम्बित है एवं दिकी पारित नहीं हुई है, तो परिवर्तता/तात्त्वकशुद्धा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। साथ ही विधान/परिवर्तक श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधान/परिवर्तक श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

(9) आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निर्दिष्ट निन्म व उच्च आयु श्रेणी के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव को डाउन सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा स्वीकृत नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार शैक्षणिक/प्रौद्योगिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही पापत्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।

(10) आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु श्रेणी में छठ के अंतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छठ नहीं दी जायेगी।

(१०) ज्ञानवदक पर्याप्ति का सम्बन्ध :-

आधेक फौ वर्ग दिशेप (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/भूतपूर्व आधेक/विधाय/परिषद्वक्ता/विकलांगता/ अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि मूल दस्तावेजों से उनकी पानता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही प्राप्त गए हों। अतः प्रानता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज भ्रष्टत करना सानिदित कर लिया जावे—

- कार्यिक (क्र-2) विषयां के परिवर्तन दिनांक 20.01.2020 के अनुसार अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु प्रमाण पत्र औनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा।
 - जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र एवं जारी किया हुआ हो।
 - पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में नियास रथान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक हैं।
 - पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षण प्रभार्य का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, नियास रथान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पिता के नाम, नियास रथान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र भान्य नहीं होगा।
 - राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
 - अनुराचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए।

7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की प्रियाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास रथान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिरूत प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है क्षत्याकारी वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास रथान के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र में आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है क्षत्याकारी वर्ग का लाभ नहीं होगा।
8. आधिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के अध्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियांत्रित प्रारूप में जारी Income & Asset Certificate प्रस्तुत करना होगा।
9. शैक्षणिक/प्रैशंसणिक योग्यता तथा शेष सभी जैसे— श्रेणी/वर्ग/जाति (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार नियांत्रित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सर्वकल्पी परीक्षा प्रमाण-पत्र), अन्यादि के अनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र की अन्तिम दिनांक (जो भी विज्ञापन में उल्लेखित हो) तक अधिकारी होना आवश्यक है विकलांगता (सम्पूर्ण नास्ति वर्ग के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्तता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाले अध्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र तथा परित्यक्ता/तलाक़ूदा श्रेणी में आवेदन करने वाले अध्यर्थी के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक़ सम्बन्धी डिग्री दरसावेज सत्यापन होने की दिनांक तक होना आवश्यक है। अनुभव अधिकी की गणना इन पदों की इस मर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक की जावेगी।
10. भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान — कार्मिक (क-2) विभाग की अधिकारी द्वारा दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यवित जो अपनी पैशान अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर—भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उससे सक्षम प्राधिकारी से नियुक्त प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, घद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्त का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक नियांत्रित प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्त से पूर्व ब्यानित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को विधिकर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्त के दो माह की किसी कालावधि के भीतर—भीतर पद व ग्रहण करने के लिए अनुमति किया जायेगा। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आवधन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्राप्तिका समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात किसी व्यक्ति को एक सिद्धि कर्तव्यार्थी माना जायेगा। परन्तु सभी भर्ती की दशा में जहाँ किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से की वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, विभागीक अनुभव उच्चावधि पद पर एक वार सेवा प्राप्त कर ली है तो यह सरकार के अधीन युनियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्राप्तिका समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन प्राप्तिका पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संविधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्राप्तिका पद ग्रहण करने के लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तरीख—वार ब्यारों के बारे में कोई रखत: घोषणा पत्र/वचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रयर्थ के फायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तिक/संविधान/अस्थायी/ तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवार्य के फायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। "कार्मिक (क-2) विभाग की अधिकारी द्वारा दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएं (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल नियासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।"
11. शासन के परिपत्र क्रमांक प.४(१०)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्परतम् विवाह प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना बांधनीय होगा।
12. ऐसा कोई भी अस्थायी, लियोन 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक नियर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ातेर नहीं होती, परन्तु यह और कि किसी आवेदक के पूर्णतर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्पर्वती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/सन्ताने पैदा होते हैं, वहाँ बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्णतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अस्थायी जिसने पुनर्नियोजित किया है जो किसी विवरद से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। तत्परतम् शापथ-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना बांधनीय होगा। विधवा एवं परित्यक्ता पर यह नियम लागू नहीं होगा।
13. विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी डिकी/क्षत्याकारी एवं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शापथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम अच्छा का चलेखन होना आवश्यक होगा।
15. आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक घटा का उल्लेख नहीं होना चाहिए जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति गैंग वायरिंग से दोषसिद्ध होने या प्रकरण/घटा अपर्णुप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णत: उपयुक्त है।
16. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णपूर्ण से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णत: उपयुक्त है।
17. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा/जैसे केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों (एनआरएचएम आदि) में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु मर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोजित से अनापति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

विशेष नोट:
 यहाँ यह उल्लेखनीय है कि डाउ सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा उक्त विज्ञापन में विशेषत पद हेतु समस्त विधियां उक्तानुसार उपरान्त की जाती हैं अगर फिर भी आवेदक/इ-मित्र/अन्य स्रोत द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/कुटि/लोप/अपूर्ण चूधान रह जाती है तब उसके उपर्युक्त नियांत्रित प्रक्रिया अनुसार अध्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण प्राप्ति नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाइन/विस्तृत आवेदन-पत्र डाउ सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा खारिज/नियस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अध्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

सूचना:— समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन डाउ सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाइट <http://dsrau.info> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निवेशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के परिसर में विधा रवाना करना परिवर्तित गया जाएगा और अध्यपुर-342037 को सम्बोधित किया जाएगा।


 शासन उप सचिव
 आयुष विमान राजस्थान
 जयपुर

कार्यालय

दिनांक

क्रमांक:-

अनुभव प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमति/ कुमारी.....पुत्र / पति / पुत्री
 श्री.....निवास.....की नियुक्ति.....के आदेश क्रमांक.....
दिनांक.....के द्वारा.....के पद पर संविदा/व्यक्तिगत अनुबंध/अस्थाई
 आधार पर.....योजना में की गयी थी, जो इस पद पर दिनांक.....से दिनांक.....तक
 कार्यरत है /रहा है/रही है। इनकी उक्त पद पर कुल कार्य अवधि.....वर्षमाह.....हैं।

हस्ताक्षर

नाम.....
 पदनाम.....
 कार्यालय स्टाम्प.....

1. उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग, प्राचार्य मेडिकल/डेन्टल कॉलेज/अधीक्षक संलग्न चिकित्सा समूह/पीएमओ/सीएमएचओ/उपनिदेशक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला निदेशक एनएचएम निदेशक आरआरसी. का सक्षम अधिकारी को उनके अधीन कार्य करने के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी माना जावेगा। यदि विभाग द्वारा किसी अन्य अधिकारी को भी सक्षम अधिकारी घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।

2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने के सत्यापन के पश्चात ही बोनस अंक/आयु में शिथिलता नियमानुसार दी जावेगी एवं विभाग द्वारा चाहे जाने पर मूल अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

नोट:- अनुभव अवधि की गणना इन पदों की इस भर्ती हेतु ऑनलाईन आवदेन करने की अन्तिम तिथि तक की जावेगी।

The image shows four handwritten signatures or initials in black ink, likely belonging to the officials mentioned in the document. From left to right, they appear to be:

- A signature consisting of a stylized 'H' and a checkmark.
- A signature consisting of a stylized 'J' and a checkmark.
- The date "20/4" written vertically.
- A signature consisting of a stylized 'Z' and a checkmark.